इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 66] भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 फरवरी 2016—माघ 14, शक 1937

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2016

क्र. डी-15-08-2016-चौदह-3.—यत:, राज्य शासन ने यह विनिश्चय किया है कि प्रदेश की ''मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति 2014'' एवं वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अन्तर्गत उपलब्ध संविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु ''वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014'' एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनद्वओं को उद्योग संवर्धन नीति 2014 अंतर्गत उपलब्ध संविधाओं का लाभ प्रदान करने हेतु ''मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई. प्रोत्साहन योजना 2014'' के प्रावधानों के अनुरूप अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग/प्रसंस्करणकर्ता को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मण्डी फीस से भुगतान में छूट प्रदान की जाये.

अतएव, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 69 की उपधारा (1) और (2) (अधिसूचना में इसे उक्त अधिनियम कहा गया है) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा उक्त अधिनियम के अधीन अधिसूचित कृषि उपज जो मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित हो एवं राज्य की किसी मंडी क्षेत्र में क्रय की गई हो और जिसका उपयोग प्रसंस्करण के लिये अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के द्वारा कच्चे माल के रूप में किया जावेगा, को निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के अध्यधीन रहते हुए मण्डी फीस से छूट प्रदान करती है, अर्थात्:—

(1) अधिसूचित कृषि उपज से तात्पर्य उक्त अधिनियम की धारा 2 (1) क, के अधीन उल्लेखित अनुसूची के शीर्ष दो, तीन, सात, आठ, दस में वर्णित उपज है.

(2) शर्त क्रमांक (1) के अध्यधीन, इस अधिसूचना अन्तर्गत केवल मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित एवं राज्य के किसी भी कृषि उपज मंडी क्षेत्र में क्रय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस से छूट का लाभ प्राप्त करने के लिए जिन अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर विचार किया जायेगा वे निम्नानुसार हैं:—

2.1 – "**वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014**" के अंर्तगत "वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाई" से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसकी स्थापना हेतु भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से आशय पत्र (लेटर ऑफ इण्टेण्ट)/औद्योगिक लायसेंस/आई.ई.एम या राज्य शासन से ई.एम अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं जिसमें न्यूनतम दस करोड़ रूपये का संयंत्र और मशीनरी में पूँजी निवेश किया गया हो तथा "मेगा खाद्य प्रसंस्करण इकाई" से अभिप्रेत है जिसमें न्यूनतम पच्चीस करोड़ रूपये का संयंत्र और मशीनरी में पूँजी निवेश किया गया हो ।

2.2 " **मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014**" के अंर्तगत " खाद्य प्रसंस्करण इकाई" से अभिप्रेत है कि मध्य प्रदेश राज्य की सीमा में स्थापित ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई, जिसकी स्थापना हेतु राज्य शासन से सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 अंतर्गत विनिर्माण (manufacturing) उद्यम हेतु ई.एम. पार्ट–2 जमा कर अभिस्वीकृति पत्र प्राप्त किया गया हो एवं जिसमें न्यूनतम पचास लाख रूपये का संयंत्र और मशीनरी में पूँजी निवेश किया गया हो।

2.3 – विस्तार/डायवर्सिफिकेशन/तकनीकी उन्नयन करने वाली "वृहद खाद्य प्रसंस्करण इकाई " या " खाद्य प्रसंस्करण इकाई" मंडी फ़ीस से छूट के लिये अपात्र होंगी।

2.4– मध्य प्रदेश शासन, वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग के आदेश कमॉक एफ–16–11/2014/बी–ग्यारह दिनॉक 02 मार्च 2015 से जारी "वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" के परिशिष्ट–1, एवं "मध्यप्रदेश एम.एस. एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014" के परिशिष्ट–1, में वर्णित उद्योग, मंडी फीस से छूट के लिये अपात्र होंगे।

2.5– इस अधिसूचना की कंडिका 2.1 एवं 2.2 में वर्णित प्रसंस्करण इकाईयों को अधिसूचना में "खाद्य प्रसंस्करण इकाई" कहा गया है ।

(3) उपरोक्त उल्लेखानुसार अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान पर छूट केवल प्रसंस्करण/निर्माण/विनिर्माण में उपयोग में लायी मात्रा पर ही केवल संबंधित स्थापित संयंत्र (संस्था की अन्य इकाई/संयंत्र को नही) को प्राप्त होगी परन्तु

अन्य राज्य या देश में उत्पादित अधिसूचित कृषि जिन्स, वाणिज्यिक प्रयोजन के अनुक्रम में कय एवं विकय की गई या इस अधिसूचना में विहित निबंधनों एवं शर्तो के उल्लंघनों में कय एवं विकय की गई अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस के भुगतान पर छूट नहीं दी जायेगी और ऐसी स्थिति में उक्त अधिनियमों के उपबंध मंडी फीस के उद्ग्रहण पर लागू होगें।

(4) उक्त अधिनियम की धारा 31, 32 तथा 32—क के अधीन उपरोक्त वर्णित वृहद् खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को अधिसूचित कृषि उपज के लिये मण्डी कृत्यकारी की अनुज्ञप्ति अभिप्राप्त करना बाध्यकारी होगा तथा यह आवश्यक होगा कि राज्य के भीतर के या राज्य के बाहर से कच्चे माल के रूप में कय की गई अधिसूचित कृषि—उपज के संबध में आयकर/वाणिज्यिक विभाग को नियत कालिक विवरणी, संदर्भित खाद्य प्रसंस्करण इकाई में किया गया स्थायी पूँजी निवेश की सत्यापित प्रति एवं अन्य समस्त ब्यौरे समय—समय पर यथा निर्देशित मण्डी क्षेत्र की मण्डी समिति को प्रस्तुत करना होगी।

(5) मण्डी फीस के भुगतान से छूट प्राप्त करने के प्रयोजन के लिये अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई के लिये यह आवश्यक होगा कि वह शर्त कमांक (4) के अनुसार स्थायी पूंजी निवेश, उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज के उपयोग से उत्पादन की दैनिक और वार्षिक क्षमता, उपरोक्त संदर्भित अधिसूचित कृषि उपज की कच्ची सामग्री और मात्रा की आवश्यकता की पुष्टि मध्यप्रदेश उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग या मध्यप्रदेश वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत करें ।

(6) यह छूट ऐसी अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों पर लागू नहीं होगी जो शर्त कमांक (5) में यथा—उल्लेखित उत्पादन की प्रामाणिक क्षमता और उसके लिये कच्ची सामग्री तथा अधिसूचित कृषि उपज की उपयोग में लाई जाने वाली मात्रा, की जानकारी प्रस्तुत करने में तथा प्रसंस्करण करने में असफल रही है।

(7) अधिसूचित कृषि उपज के प्रसंस्करण के लिये स्थापित खाद्य प्रसंस्करण इकाई को मण्डी फीस से छूट उनके द्वारा किये गये संयंत्र एवं मशीनरी में निवेश के अधिकतम पचास प्रतिशत रकम के समतुल्य या प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड के द्वारा मंडी फीस से छूट प्रदान करने हेतु जारी आदेश की दिनॉक से पॉच वर्ष (इसमे से जो भी कम और पहले हो) तक की सीमा तक प्राप्त होगा।

(8) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई प्रदेश की जिस मण्डी के क्षेत्र में स्थापित है उस मण्डी समिति का यह कर्तव्य होगा कि वह राज्य की समस्त मण्डी समितियो से प्राप्त माहवार छूट की जानकारी प्राप्त कर गणना करे तथा निबंधनों और शर्तो के पालन को सुनिश्चित करें।

(9) अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (2) के अध्यधीन रहते हुए मण्डी क्षेत्र में दिनॉक 01.10.2014 से 31.09.2019 तक स्थापित की गई खाद्य प्रसंस्करण इकाई को दिनॉक 01.10.2014 से इस अधिसूचना के निबंधनों तथा शर्तो के अनुसार प्रदेश में प्रभावशील "वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" का या " मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014" का लाभ प्राप्त होगा ।

(10) ऐसी खाद्य प्रसंस्करण इकाई जिनके लिये उद्योग संर्वधन नीति 2010 या पूर्व नीतियों के तहत मंडी फीस से छूट के लिये पहले स्वीकृत प्रदान की गई है, या जिसका वाणिज्यिक उत्पादन दिनॉक 01.10.2014 के पूर्व का है, उन्हे इस योजना का लाभ उठाने की पात्रता नहीं होगी।

(11) मंडी अधिनियम, मंडी उपविधियों के उपबंधों तथा उपरोक्त निबंधनों तथा शर्तो के उल्लंघन होने की दशा में स्थापित की गई अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करण इकाई द्वारा उसे अधिसूचित कृषि उपज पर उपलब्ध कराई गई कुल मण्डी फीस से छूट की पांच गुना राशि की वसूली संबंधित मण्डी समितियों को शास्ति के रूप में देय होगी एवं खाद्य प्रसंस्करण इकाई की अनुज्ञप्ति पॉच वर्षो के लिये निरस्त की जावेगी।

(12) ये अधिसूचना प्राभावशील होने की दिनॉक से मंडी अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन उद्योग संर्वधन नीति एवं खाद्य प्रसंस्करण नीति और या अन्यथा धान से बासमती चावल प्रसंस्करण के लिये खाद्य प्रसंस्करण इकाईयो को (परन्तु मंडी अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन समरूप से सभी श्रेणी के मण्डी कृतकारियों पर लागू होने वाली उदाहणार्थ अधिसूचित कृषि उपज 'कपास' तथा आयतीत 'दलहन' पर को प्रदान मण्डी फीस से छूट, को छोडकर), विभाग के द्वारा प्रदान की गयी मंडी फीस से छूट की समस्त अधिसूचनायें एतद्वारा निरस्त की जाती हैं। परन्तु ऐसे निरसन के होते हुए भी वृहद् खाद्य प्रसंस्करण इकाई को प्रदान की गई मंडी फीस से छूट, जहॉ तक मंडी अधिनियम एवं मंडी उपविधियों के उपबंधों से असंगत न हो, इस अधिसूचना के अंर्तगत जारी समझी जायेंगी जब तक

मंडी अधिनियम के अधीन किसी बात या किये गये किसी कार्य द्वारा अतिष्ठित न कर दी जायें ।

(13) अनुज्ञप्तिधारी खाद्य प्रसंस्करणकर्ता के द्वारा यदि मंडी अधिनियम की धारा 69 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन समरूप से सभी श्रेणी के मण्डी कृत्यकारियों पर लागू होने वाली मंडी फीस से छूट (जैसा कि कंडिका 12 में वर्णित हैं) का लाभ भी प्राप्त किया जाता है तो खाद्य प्रसंस्करणकर्ता के द्वारा कुल प्राप्त मंडी फीस से छूट की गणना जैसा कि कंडिका 07 में उल्लेखित है में इसे शामिल कर, गणना की जावेगी।

(14) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड को पूर्वोक्त अवधारित निबंधनों के अनुसार, ऐसी इकाइयो को मण्डी फीस से छूट उपलब्ध कराने के लिये प्राधिकृत किया जाता है जिसमें सचिव, राज्य स्तरीय साधिकार समिति के द्वारा "वृहद् श्रेणी की औद्योगिक तथा निवेश परियोजनाओं के लिये मध्यप्रदेश निवेश प्रोत्साहन योजना 2014" के परिशिष्ट–12 के अनुसार या सचिव, जिला स्तरीय सहायता समिति के द्वारा "मध्यप्रदेश एम.एस.एम.ई प्रोत्साहन योजना 2014" के परिशिष्ट–09 के अनुसार प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, प्रकरणवार परीक्षण करने के पश्चात् इस संबध में आवश्यक विनिश्चय करेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अजय गुप्ता, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2016.